प्र.सं. 2/24 बदा के बजाय श्रीमती नाथी व अन्य बनाम खेमा के बजाय श्रीमती गवेल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.07.2025	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट/प्रार्थी ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट/विपक्षी संख्या 2, 4, 7 एवं 13–बी की मृत्यु हो चुकी है, जिनके विधिक वारिसान को कायम मुकाम करा रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक विपक्षी संख्या 2, 4, 7 एवं 13–बी के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश फरमावें। उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोडेन्ट/विपक्षी के अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षी संख्या 2, 4, 7 एवं 13–बी की मृत्यु कई वर्ष पूर्व हो चुकी है। विपक्षी संख्या 2 फता की मृत्यु दिनांक 24.05.2019 को तथा विपक्षी संख्या 4 नाथा की मृत्यु दिनांक 26.12.2019 को हो चुका है, जिसके पॉच वारिस है, जिसमें से पॉचवें वारिस हीरालाल पिता नाथ व विपक्षी संख्या 7 पर्वतसिंह की मृत्यु दिनांक 05.01.2003 को हो चुकी है, जिसके तीन वारिस है, जिसमें से विपक्षी संख्या 13–बी महेन्द्र की मृत्यु दिनांक 10.06.2013 को हो चुकी है, जिसका वारिस ललित नहीं होकर विनीत कुमार है तथा मैना देवी महेन्द्र की पत्नी है, पुत्री नहीं है। उक्त मृतकों के कायम मुकाम का आवेदन 90 दिवस में प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र अबेट हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज की जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2025 को प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/विपक्षी का कथन है कि विपक्षी संख्या 2, 4, 7 एवं 13–बी की मृत्यु कई वर्ष पूर्व हो चुकी है एवं साथ में मृत्यु की दिनांक भी बतायी है, हालांकि इस बाबत् कोई मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, न ही मयाद कण्डोन कराने हेतु कोई धारा 5 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है तथा न ही विपक्षी के अधिवक्ता के उक्त कथनों का खण्डन नहीं किया है। तद्नुसार अपील अबेट हो जाने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. खारिज किया जाकर अपील अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम की जावे। (कीर्ति राठौड़) प्रबन्ध अधिकारी पद – राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:05 IST
Reason: SelfAttested